सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 26, सोमवार, शाके 1944-मई 16, 2022
Vaisakha 26, Monday , Saka 1944- May 16, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2022

जी.एस.आर.20 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची- I का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से संलग्न अनुसूची-I में, **शीर्ष ग्रुप 'क' (चिकित्सा क्षेत्र) (पृथक् महिला और पुरूष संवर्ग)** के अधीन,-

(i) क्रम संख्यांक 4 के विद्यमान भाग (ख) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

	(ख) अधीक्षक भेषजज्ञ	-	100%	-	भेषजज्ञ ग्रेड-I	स्तंभ संख्याक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्षों का अनुभव	-
	(ग) भेषजज्ञ ग्रेड-I	-	100%	-	भेषजज्ञ	स्तंभ संख्याक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्षों का अनुभव	-

	(घ) भेषजज्ञ	100%	-	1. भेषजी में डिप्लोमा, और 2. राजस्थान भेषजी परिषद् में भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत ।	-	-	बी.फार्मा या एम. फार्मा वाले अभ्यर्थी भी पात्र हैं ।

"

(ii) क्रम संख्यांक 4 के विद्यमान भाग (ग) को भाग (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

[सं. एफ. 2(1)डीओपी/ए-II/82 पार्ट ।।]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
रामनिवास मेहता
संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, May 5, 2022

G.S.R.20 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes following rules further to amend the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965,namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (Fourth Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-I.- In schedule-I appended to Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, under the heading **Group 'A' (Medical Side)(Separate Male and Female Cadres),**

(i) the existing part (b) and entries thereto of serial number 4 shall be substituted by the following, namely:-

"

	(b) Superintendent Pharmacist	-	100%	-	Pharmacist Grade-1	5 years' experience on the post mentioned in column number 5	
	(c) Pharmacist Grade-1	-	100%	-	Pharmacist	5 years' experience on the post mentioned in column number 5	

	(d) Pharmacist	100%	-	1. Diploma in Pharmacy, and 2. Registered as Pharmacist in Rajasthan Pharmacy Council.	-	-	Candidates having B.Pharma or M.Pharma are also eligible.

"

(ii) the existing part (c) of serial number 4 shall be renumbered as part (e).

[No. F. 2(1)DOP/A-II/82 pt. II]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.